निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 843) पटना बुधवार 22 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
21 जुलाई 2026

सं० वि०स०वि०–15/2026–3321 वि०स०—''बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–21 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव।

बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026

[वि०स०वि०-19/2026]

बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1985 (बिहार अधिनियम 12, 1985) में संशोधन करने हेतु विधेयक ।

प्रस्तावना:–राज्य के गन्ना किसानों के हित में बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड के अधीन बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना हेतु इकाईयों के परिसम्पति को निगम, राज्य सरकार से सम्पोषित संस्था, सहकारी संस्था, अन्य विभाग, निजी क्षेत्र की कम्पनी या अन्य संस्था को हस्तांतरण हेतु बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1985 की धारा–3 कीं उपधारा 2 को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है ।

इसलिए भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।–**
   (1) यह अधिनियम बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. **बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1985 की धारा–3 में संशोधन।–**
   उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

   "उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि निगम या राज्य सरकार से सम्पोषित संस्था या सहकारी संस्था या अन्य विभाग या निजी क्षेत्र की कम्पनी या अन्य संस्था उन बंधेजों और शर्तो का जिन्हे अधिरोपित करना सरकार उचित समझे, अनुपालन करने को इच्छुक है या अनुपालन कर चुकी है, तो वह लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि, अधिकार, स्वत्व और हित निदेश के प्रकाशन की तारीख को (जो नियत दिन से पूर्व की कोई तारीख न हों) राज्य सरकार में निहित होने के बदले निगम, राज्य सरकार से सम्पोषित संस्था, सहकारी संस्था, अन्य विभाग, निजी क्षेत्र की कम्पनी, अन्य संस्था में निहित होंगे।"

<u>उद्देश्य एवं हेतु</u>

राज्य के गन्ना किसानों के हित में बिहार राज्य चीनी निगम लि० के अधीन बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर गन्ना आधारित उद्योग की स्थापना हो सके जिससे इन क्षेत्रों में गन्ना के रकवा का विस्तार किसानों के आय में वृद्धि, रोजगार का सृजन एवं राज्य से पलायन में कमी लाने के लिए बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1985 की धारा–3 की उपधारा 2 में संशोधन की आवश्यकता है ।

यह इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है एवं इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(संजय कुमार)
भार–साधक सदस्य

पटना,
दिनांक–21.07.2026

प्रभारी सचिव,
बिहार विधन सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 843-571+10-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in